

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केंद्र, अनुपपहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 520/14-1, दिनांक: अलीगढ़: सितम्बर 01/ 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस०एच०-85) किमी० चैनेज 1.0105 की बाँधी पटरी पर स्थित ग्राम भगीपुर के खसरा संख्या 641 तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.169764 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस०एच०-85) किमी० चैनेज 1.0105 की बाँधी पटरी पर स्थित ग्राम भगीपुर के खसरा संख्या 641 तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.169764 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक 237/14-1, दिनांक 11.08.2016 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1, समदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 237/14-1, दिनांक 11.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- मैनेजर (रिटेल सेल्स) इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि०, सेल्स एरिया, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस०एच०-85) किमी० चैनेज 1.0105 की वॉयी पटरी पर स्थित ग्राम भगीपुर के खसरा संख्या-641 तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित रिटेल आउट लेट(पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.169764 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।


 (ललित कुमार वर्मा)
 वन संरक्षक,
 अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

तिथि:-01.09.2016

स्थान:-अलीगढ़।